

आदेश

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर/ उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की आख या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, कपकोट में जिला योजना के अंतर्गत जारी की गई सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.54 है० की दुगुनी 3.08 है० भूमि जो ग्राम खोली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र, तल्ला कत्यूर, तहसील व जिला, बागेश्वर के गैर ज० वि० ख० ख० संख्या 119 के पैमाईशी खेत संख्या-152 क्षेत्रफल 3.380 है० ब्रेणी 9(3) ख(1) इमारती लकड़ी के वन मध्ये 3.08 है० भूमि को शासनादेश संख्या-2173/ 2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या -08/यू० सी० पी०/ 06/ 138/2019/ एफ० सी०/2159 दिनांक 25.01.2021 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या-487/ छब्बीस -12 वन /2020-2021 दिनांक 3/4 /2021

प्रतिनिधि.निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लो० नि० वि०, कपकोट।
4. तहसीलदार, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

रूपमा निरूपित
Photo copy Attached
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Digitally signed by VINEET
KUMAR

Date:Thu Apr 01 16:27:43 IST
2021

Reason: Approved